न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 11/2010 (76 एल .आर. एक्ट)

उनवान

राजेन्द्र सिंह पुत्र निहाल सिंह उम्र करीब 60 वर्ष जाति ठाकुर निवासी पुरा मनरूप तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

1/1. रामरती पत्नी स्व0 राजेन्द्र सिंह

1/2. राकेश सिंह पुत्र स्व0 राजेन्द्र सिंह

1/3. सुमन
1/4. सुनीता
1/5. उर्मिला
1/6. रानी
1/7. राधा
1/8. मधु

पिसरान स्व0 राजेन्द्र सिंह जातिगण ठाकुर निवासी बसेडी तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

1/9. सुमित पुत्र जीतेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी मांछी तहसील व जिला करौली।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बसेडी जिला धौलपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

2. नारायन सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति ठाकुर नि0 मनरूप का पुरा तह0 बसेडी जिला धौलपुर।
3. मु0 रामा वेवा अमर सिंह जाति ठाकुर निवासी मनरूप का पुरा तह0 बसेडी जिला धौलपुर।
4. शिवा कार्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड हाल मुकाम बसेडी जरिये श्यामसुन्दर प्रजापति।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 26.07.2010 प्र.संख्या 41/2009 उनवानी राजेन्द्र बनाम सरकार।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषकगण :—

1. वकील अपीलांट श्री सुरेश चन्द श्रीवास्तव उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह उपस्थित।

निर्णय

दिनांक— 13.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 26.07.2010 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार बसेडी ने आराजी खसरा नम्बर 2402 रकवा 14 विस्वा कृषि भूमि

किस्म बारानी, जो अपीलाण्ट/अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है; में से 01 विस्वा भूमि पर अपीलाण्ट/अप्रार्थी द्वारा कृषि से अकृषि में भूमि रूपान्तरण कराये बगैर, एक धर्मकांटा (तोलने की मशीन) लगाने के कारण, उक्त मशीन को हटवाने, बेदखल करने एवं पैनल्टी राशि आरोपित करने का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के समक्ष की गई। न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा उक्त अपील, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2010 से खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथ्यों एवं विधिक प्रावधानो के सर्वथा विपरीत है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में विवादित भूमि को वाणिज्य प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कराने हेतु समय की मॉग की गयी थी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को अपना पक्ष व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया एवं ना ही पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर दिया। जबकि विधिक प्रावधानों के मुताबिक बिना जिरह किये हुए पटवारी के बयानों को साक्ष्य में नहीं माना जा सकता है। इस अहम बिन्दु को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अनदेखा किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की गयी है। अतः मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई व साक्ष्य का पूर्ण अवसर दिया जाकर, विधि अनुरूप निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी पर बिना भूमि रूपान्तरण कराये धर्म कॉटा लगाया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.07.2010 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 06.10.2010 को लगभग 02 माह 10 दिन पश्चात इस न्यायालय में मियाद बाहर पेश की गई है एवं अपील प्रस्तुत होने में हुई देरी के लिए धारा 5 मिंयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि अपील पेश करने में हुई देरी के लिए धारा 5 मिंयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था। वक्त बहस भी मियाद के बिन्दु पर कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

6. जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है। निर्विवाद रूप से अपीलाण्ट/अप्रार्थी ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2402 रकवा 14 विस्वा में से 01 विस्वा जमीन पर बिना रूपान्तरण कराये कृषी भूमि पर धर्मकांटा लगा लिया है। अपीलाण्ट का यह कृत्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए का उल्लंघन है। अपीलाण्ट अपनी खातेदारी भूमि को गैर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कृषि कार्यो के लिए प्रयोग कर रहे हैं जिसकी अनुमति बिना भूमि रूपान्तरण करवाये नही दी जा सकती है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसेडी के निर्णय दिनांक 06.04.2009 से पूर्व ही भूमि रूपान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। इसके पश्चात् भी अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय तहसीलदार द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ करने के पश्चात् भी अवसर था। परन्तु उनके द्वारा अभी तक भूमि रूपान्तरण बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो और उसकी क्या अवस्था है ? बाबत् जानकारी अथवा कोई दस्तावेजी साक्ष्य, ना तो हस्तगत अपील के साथ प्रस्तुत किया है एवं ना ही दौराने बहस उनके अभिभाषक ही बता पायें हैं। अपीलाधीन निर्णय, अपीलाण्ट पक्ष को सुना जाकर, उनकी पूर्ण जानकारी में पारित हुआ है, जो पूर्णतः विधिसम्मत है। लिहाजा हम अपील में कोई बल नहीं पाते हैं।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाये जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official